संख्या- 100 /2015/1662ए/69-1-2015-3(एस0सी0पी0)/2015

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,

उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 28 जुलाई, 2015

विषय:वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किश्त की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1209/76/एक/एबीएमबीवीबाई/2013-14, दिनांक 24 जून, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **अनुसूचित बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत नगरीय सुविधाएं एवं आवास योजनान्तर्गत** वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत जनपद-संतकबीर नगर की न0पा0परि0 खलीलाबाद की विभिन्न अनुसूचित जाति बस्तियों में इण्टरलाकिंग सड़क, नाली/नाला एवं रिटेनिंग वाल के निर्माण कार्य से सम्बन्धित 15 परियोजनाओं हेतु शासनादेश **संख्या-223/2015/202/69-1-15-3(एस0सी0पी0)/2015, दिनांक 12 मार्च, 2014 द्वारा रु0 928.86 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् रु0 464.43 लाख** की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव जनपद-संतकबीरनगर की उक्त परियोजनाओं के कार्यों को पूर्ण कराने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि से संलग्न तालिका के स्तम्भ-6 में अंकित द्वितीय/अंतिम किश्त की धनराशि **रु0 464.43 लाख (रूपये चार करोड़ चौसठ लाख तैंतालिस हजार मात्र)** की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त धनराशि प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-32/69-1-13-14(31)2012टीसी, दिनांक 16 जनवरी, 2013 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
3. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियों,

2/

मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे स्वीकृत धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निकायों को मिल सके।

5. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शहरी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

6. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय विधिक नियमों के अनुसार किया जायेगा।

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।

8. उक्त प्रायोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित डूडा का होगा।

9. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व सूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत परियोजनाओं के आगणनों का गठन वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप है तथा उसमें कार्य विशेष की लागत सीमा को कम करने के उद्देश्य से अथवा प्रायोजना के स्कोप को कम करके अथवा प्राविधानों को कम करके लागत आंकलित नहीं की गई है।

11. उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सूचित किया जायेगा।

12. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

13. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।

14. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।

15. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, वाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।

16. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2016 तक व्यय हो सके।

3/

2. उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत योजनान्तर्गत प्राविधानित बजट में उपलब्ध धनराशि से लेखाशीर्षक **"2217-शहरी विकास-आयोजनागत-04-गन्दी बस्तियों का विकास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड/इण्टरलाकिंग नाली आदि सामान्य सुविधाओं के निर्माण कार्य-00-35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"** के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस 2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 7.. /2015/1662ए(1)/69-1-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, संतकबीरनगर।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (ई-8) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, शासन।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या [illegible] /2015/1662९/69-1-15-3(एस0सी0पी0)/2015, दिनांक [illegible] जुलाई, 2015 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	निकाय/नगर पंचायत का नाम।	बस्ती/वार्ड का नाम/कार्य का विवरण।	परियोजना की कुल लागत।	द्वितीय/अंतिम किश्त के रूप में स्वीकृति योग्य धनराशि।
1	2	3	4	5	6
1.	संतकबीर नगर	न0पा0परि0 खलीलाबाद	मो0 मगहिया में मुख्य मार्ग से मजार मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	37.23	18.615
2.	तदैव	तदैव	मो0 गांधीनगर में जगदीश अनु0 के घर से राजन के घर मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	22.87	11.435
3.	तदैव	तदैव	मो0 बरदहिया में मकालू चौहान आनु के मकान से नाला तक मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	27.41	13.705
4.	तदैव	तदैव	मो0 तितौवा में मोहित के दुकान से हीरालाल विद्यालय तक यू टाइप नाली निर्माण कार्य।	87.32	43.66
5.	तदैव	तदैव	मो0 तितौवा में चौरसिया के मकान से एवीएम0 होते हुये मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	95.88	47.94
6	तदैव	तदैव	मो0 बरदहिया में गुड्डू हरिजन के मकान से बैजनाथ के मकान मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	36.73	18.365
7.	तदैव	तदैव	मो0 गांधीनगर में अलगू चौहान के मकान से सोनकर टोला मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	38.46	19.23
8.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-24 औ0 नगर में के0एम0डी0 पर राजेन्दर हरिजन के घर से तपेसर हरिजन एवं जमील के घर से हरी हरिजन के घर मार्ग पर नाला निर्माण कार्य।	98.82	49.41
9.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-24 में मेन रोड से उत्तर महेन्द्र हरिजन के घर मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	97.57	48.785
10.	तदैव	तदैव	बगहिया में अशोक के मकान से मुख्य मार्ग तक इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल का निर्माण कार्य।	62.42	31.21
11.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0-24 में मेन रोड से दक्षिण लालमन कन्नौजिया के मकान से शिव शंकर हरिजन के घर मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	90.30	45.15
12.	तदैव	तदैव	के0एम0डी0 रोड पर राजेन्द सोनकर के दुकान से अनु0 बस्ती सोनकर टोला मार्ग पर इण्टरलाकिंग रोड, रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य।	72.12	36.06
13.	तदैव	तदैव	वार्ड नं0.24 औ0 नगर में के0एम0डी0 से महेन्दर हरिजन के घर मार्ग पर नाली निर्माण कार्य।	60.92	30.46
14	तदैव	तदैव	मो0 तितौवा में विनोद के घर से ओंकार आदि के घर	54.82	27.41

15.	लदैव	लदैव	[illegible] पर इण्टरलॉकिंग [illegible] निर्माण कार्य [illegible] [illegible] में [illegible] से [illegible] तक मकान होते हुए [illegible] के मकान [illegible] पर इण्टरलॉकिंग [illegible] निर्माण कार्य।	45.99	22.995
	योग			928.86	464.43

(रूपये चार करोड़ चौंसठ लाख तैंतालिस हजार मात्र)।

(एस0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in